भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2603

14 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों/बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण

2603. श्री के.मुरलीधरन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) का बहु-राज्य सहकारी समितियों/राज्य सहकारी बैंकों पर कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नाम के साथ "बैंक" का प्रयोग करने वाली सहकारी समितियों तथा जो उनके सदस्य नहीं है उनसे जमा स्वीकार करने के प्रति जनता को सावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख): बहु-राज्य सहकारी बैंकों सहित बहु-राज्य सहकारी समितियां बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत शासित होती हैं। इसके अलावा, बहु-राज्य सहकारी बैंको का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत भी किया जाता है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित किये जाते है। इसके अलावा, राज्य सहकारी बैंकों का विनियमन आरबीआई द्वारा बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत भी किया जाता है तथा इनका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है।

(ग) एवं (घ): जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 22 नवंबर, 2021 को प्रेस विज्ञप्ति सं. 2021-2022/1230 जारी की थी जिसमें विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उनके नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग करने तथा गैर-सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/एसोसिएट सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के समान है, के विरूद्ध लोगों को सावधान किया है।

******